न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/11/2024	2024/33	10.06.2024	22.07.2024

01.गिर्राज प्रसाद पुत्र दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, जाति कोली, उम्र करीब 62 साल, निवासी वी. आई.पी.रोड, मालाखेडा, जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट

बनाम

01.कौशल्या पत्नी स्व. श्री नन्नूराम, उम्र करीब 65 साल,
02.अनीता पुत्री स्व. श्री नन्नूराम, उम्र करीब 45 साल,
03.प्रताप पुत्र स्व. श्री नन्नूराम, उम्र करीब 44 साल,
04.सम्पत्त पुत्र स्व. श्री नन्नूराम, उम्र करीब 42 साल निवासी स्टेशन रोड, मालाखेडा, जिला अलवर राज०।
05.तहसीलदार सहाब, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज०।
06.उप पंजीयक महोदय, कम तहसीलदार, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज०।

——रेस्पोडेन्ट्स

07.सोहन सिंह पुत्र स्व. श्री डालचन्द स्व.दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,
08.शिवशंकर पुत्र स्व. श्री डालचन्द पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,
09.भगवानसहाय पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,
10.दिनेश पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,
11.गोपी पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,
12.छुटटन पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,
13.रामप्यारी पुत्री स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, उम्र करीब साल,

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील बाबत निरस्त फरमाये जाने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर राज0 के आदेश दिनांक 31.05.2023 प्रकरण संख्या 11/2023 ।

उपस्थितः—
01.श्री देवेन्द्र प्रधान —वकील अपीलाण्ट
02.श्रीमती गुड्डी नायक —वकील रेस्पोडेंट्स
03.श्री संजय कुमार शर्मा —वकील तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू. अ.) मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर दिनांक 31.05.2023 प्रकरण संख्या 11/2023 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट की एक आराजी खसरा नम्बरान 522/2 रकबा 0.52 523 रकबा 0.56 साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। जिसकी ताईद में जमावन्दी संलग्न है उक्त विवादित आराजी जिस पर अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को इनके स्वर्गीय पिताजी बिहारीलाल उर्फ जगन्नाथ कोली पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ तुत्तल से प्राप्त हुई थी। जिस पर लम्बे अरसे करीब 50 सालो से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट इनसे पूर्व इनके पूर्वज उपयोग उपभोग एवं कुल कार्य कब्जा काश्तकारी का करते चले आ रहे है। जिस पर हाल कब्जा एवं कुल कार्य काश्तकारी अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के द्वारा ही की जा रही है। अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पिताजी स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, एवं इनके भाईयो मॉगेलाल एवं हीरालाल पुत्रान स्व. बिहारी लाल पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ तुत्तल जाति कोली निवासी मालाखेडा की मृत्यु दिनांक—16—12—2017 को हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान 522/2 रकबा 0.52 523 रकबा 0.56 साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० मे नियमानुसार अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई थी। जिस पर नियमानुसार अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट ने अपना इन्तकाल दर्ज फरमाए जाने के बाबत एक प्रार्थना—पत्र श्रीमान तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर राज० के यहाँ पर पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाब मालाखेडा, के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

उक्त विवादित आराजी जिस पर अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को इनके स्वर्गीय पिताजी बिहारीलाल उर्फ जगन्नाथ कोली पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ तुत्तल से प्राप्त हुई थी। जिस पर लम्बे अरसे करीब 50 सालो से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट इनसे पूर्व इनके पूर्वज उपयोग उपभोग एवं कुल कार्य कब्जा काश्तकारी का करते चले आ रहे है। जिस पर हाल कब्जा एवं कुल कार्य काश्तकारी अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के द्वारा ही की जा रही है। अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पिताजी स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, एवं इनके भाईयो मॉगेलाल एवं हीरालाल पुत्रान स्व. बिहारी लाल पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ तुत्तल जाति कोली निवासी मालाखेडा की मृत्यु दिनांक—16—12—2017 को हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान 522/2 रकबा 0.52 523 रकबा 0.56 साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० मे नियमानुसार अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई थी। जिस पर नियमानुसार अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट ने अपना इन्तकाल दर्ज फरमाए जाने के बाबत एक प्रार्थना—पत्र श्रीमान तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर राज० के यहाँ पर पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाब मालाखेडा, के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

रेस्पोडेण्ट संख्या—01 कोशल्या ने भी उक्त विवादित आराजी पर इन्तकाल दर्ज करवाए जाने के बाबत श्रीमान तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर राज० के यहाँ इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए बदनियति एवं मनगढन्त तरीके से प्रार्थना—पेश किया था तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दयाकिशन पुत्र बिहारीलाल की मृत्यु दिनांक–01–01–1960 को होना बताकर स्वयं को एवं अपने परिजनों को वारिस बताकर एवं विवादित आराजी रेस्पोडेण्ट ने अपनी बताते हुए एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर के यहाँ पेश किया था कि उक्त विवादित आराजी का रेस्पोडेण्ट को वारिस घोषित करते हुए नियमानुसार वारिस घोषित किया जावें । रेस्पोडेण्ट ने ग्राम पंचायत मालाखेडा से जारी वारिस प्रमाण पत्र, जागा पोथी, एवं गवाहान के बयानात दर्ज करवा कर उक्त इन्तकाल गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया था जो निरस्त फरमाए जाने योग्य है। लेकिन जो नकल प्रार्थी को प्राप्त हुई है उसके उक्त पत्रावली में किसी व्यक्ति के बयानात ही दर्ज नहीं किए गए थे। केवल मात्र कोशल्या एवं एक अन्य व्यक्ति के शपथपत्र प्राप्त किए थे और पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही विवादित आराजी का वारिसान रेसपोडेण्ट को मानते हुए आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण संख्या–11 / 23, को गलत तरीके से पारित कर दिया था जो खारिज फरमाए जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर के यहाँ अपने पक्ष में जो विवादित आराजी का वारिस इन्तकाल करवाए जाने के बाबत जो दस्तावेजात पेश किए थे उनमें से सब डिवीजनल अधिकारी अलवर के यहा प्रस्तुत किए गए राजीनामे दिनांक–01–06–2002 की प्रति पेश की थी जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी पर मांगेलाल पुत्र बिहारीलाल कोली, निवासी मालाखेडा, जिला अलवर राज० तथा वादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारीलाल, जाति कोली निवासी मालाखेडा, जिला अलवर राज० के मध्य राजस्व वाद में पेश किया था। जिसको दिनांक–05–06–2002 को सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान के द्वारा तस्दीक फरमाया गया था । जिसके अनुसार यह निर्णित हुआ था कि आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 52 एयर, व 523 रकबा 56 एयर वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० जिसका साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा था में से 03 बीधा साढे चार बिस्वा जमीन सिरे पूर्व की ओर प्रतिवादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र स्व. बिहारीलाल, की खातेदारी की रहेगी, इस आराजी में से एक बीधा साढे बारह बिस्वा आराजी सिरे पश्चिम को वादी मांगेलाल पुत्र स्व. बिहारीलाल की खातेदारी की रहेगी। इस आराजी में स्व. हीरालाल के वारिसान जो की इस मुकदमे में तरतीबी प्रतिवादीगण बनाए गए है उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा इत्यादि जिसकी प्रति संलग्न है। लेकिन तहसीलदार सहाब मालाखेडा, के द्वारा तथ्यों को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण संख्या–11 / 23, को गलत तरीके से पारित कर दिया था जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने योग्य है।

यदि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर बिना कब्जा को देखते हुए, विवादित आराजी के पडोसियान के बयानात दर्ज किए बिना ही रेस्पोडेण्ट से साज बाज होकर मिली भगत करके अपीलाण्ट को सुने बिना ही एवं उसके पक्ष को देखे बिना ही रेस्पोडेण्ट के पक्ष में विवादित आराजी का विरासत इन्तकाल दर्ज फरमा दिया गया है। जबकि उक्त विवादित आराजी पर अपीलाण्ट, इससे पूर्व अपीलाण्ट के पूर्वजो का बहुत ही लम्बे अरसे से करीब 50 सालों से पूर्व से ही कब्जा बना हुआ है तथा काश्तकारी का कुल कार्य करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी पर हाल में भी अपीलाण्ट एवं उसके परिजनों का कब्जा बना हुआ है एवं कुल कार्य काश्तकारी का कार्य अपीलाण्ट करते चले आ रहे है। विधिक नियमों के सिद्धान्तों के अनुसार विवादित आराजी का विरासत इन्तकाल अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में दर्ज किया जाना था इसके बावजूद भी तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

संख्या–11 / 23, को गलत तरीके से पारित कर दिया था जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजो का कभी कब्जा नहीं रहा ना ही उनके द्वारा कभी उक्त आराजी पर काश्तकारी का कुल कार्य कभी किया गया था। इसलिए आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण संख्या–11 / 23, को गलत तरीके से पारित कर दिया था जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने योग्य है। केवल नाम की समानता होने का फायदा उठाकर गलत तरीके से विवादित आराजी का विरासत इन्तकाल रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम दर्ज करवाने में कामयाब हो गए थे। इसलिए आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण संख्या–11 / 23, को गलत तरीके से पारित कर दिया था जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने योग्य है। उक्त निर्णय गलत तरीके से गवाहान के बयानात दर्ज फरमाते हुए किया गया है जो अपास्त फरमाए जाने योग्य है ।

उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का एवं सबूतो का सही प्रकार से अवलोकन किए बिना ही रेस्पोडेण्ट से साज बाज एवं मिलीभगत करते हुए दिया गया है जो अपास्त फरमाए जाने योग्य है। यदि दोराने अपील किसी प्रकार से रेस्पोडेण्ट के द्वारा उक्त विवादित आराजी को रहन बय हिबा के गैर दीगर लोगो को हस्तान्तरित कर दिया हो और इन्तकाल दर्ज करवा दिया गया हो तो उसे भी नियमानुसार नल एण्ड वाईड घोषित करके निरस्त फरमाया जावें। उक्त अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण श्रवण योग्य है । जिस पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है। श्रीमान अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट कम पढे लिखें एवं कानून के कम जानकार है। जब प्रार्थी को इस कानून की जानकारी हुई की उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है तो अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। उक्त अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना–पत्र संलग्न है। श्रीमान पूर्ण वजूहातों के साथ उक्त अपील श्रीमान के समक्ष पेश कर दी गई है। अन्य तथ्य दोराने बहस जुबाने अर्ज किए जाएगे। श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि अपील बाबत निरस्त फरमाए जाने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाब मालाखेडा जिला अलवर राज० के आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण संख्या–11/23, के अनुसार खसरा नम्बरान 522/2 रकबा 0.52 523 रकबा 0.56 वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० में जो आदेश दिनांक–31–05–2023 प्रकरण संख्या–11 / 23, को गलत तरीके एवं विधिक सिद्धान्तो का खुल्लमखुल्ला उल्लघंन करते हुए तथा रेस्पोडेण्ट से साज बाज होकर के पारित कर दिया था उस आदेश को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जावें तथा विवादित आराजी जो की अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों की थी तथा करीब 50 सालों से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट का कब्जा एवं कुल कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे है के पक्ष में वारिसान का इन्तकाल दर्ज फरमाए जाने की कृपा करें । अन्य अनुतोष जो श्रीमान उचित समझे दिलाए जाने की कृपा करें । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रैस्पोडेंट 01 लगायत 04 ने जरिये अधिवक्ता क्षेत्राधिकार के बिन्दु से संबंधित प्रा0प0 पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट द्वारा, उक्त अपील आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31–05–2023 प्रकरण संख्या 11/23 के खिलाफ अदालत श्रीमान में पेश की गयी हैं।अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान द्वारा उक्त प्रकरण को धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की गई हैं, तथा पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये, तथा पक्षकारो के दस्तावेज एवं गवाहान के बयानात दर्ज कर अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई हैं। अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित गवाह को तलब कर बयान दर्ज किये गये, एंव पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये, जो समस्त प्रक्रिया विवादित प्रकरण की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि नोटिस व इश्तहार उजरदारी धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत ही जारी होते हैं, जो विवादित इन्तकाल की श्रेणी में आते हैं। इसलिये अपीलाधीन आज्ञा विवादित होने के कारण उसके खिलाफ अपील अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही आने से अदालत श्रीमान में पोशनीय नहीं हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आज्ञा के खिलाफ विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अनुसार विवादित आज्ञा की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित हैं। लेकिन अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर क्षेत्राधिकार विहिन अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई हैं। इसलिए अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अदालत श्रीमान में पोशनीय न होकर प्रथम स्टेज पर ही सव्यय खारिज किए जानें योग्य हैं। जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किये जावेगें।अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रथम स्टेज पर ही सुनवाई कर सव्यय खारिज फरमायी जावें। महति कृपा होगी।

अपीलाण्ट की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक–08–07–2024 का जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है कि उक्त प्रकरण संख्या–11/23 में अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर ने अपने तरीके से मनमाने ढंग सेकार्यवाही करते हुए निस्तारित किया गया था। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायाल के द्वारा अपीलाण्ट गिर्राज प्रसाद को एवं तरतीबी पक्षकार सोहन सिंह पुत्र स्व. श्री डालचन्द, शिवशंकर पुत्र स्व. श्री डालचन्द, भगवानसहाय पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, दिनेश पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, गोपी पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, छुटटन पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, रामप्यारी पुत्री स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ को किसी भी प्रकार से नोटिस जारी नहीं किए थे। क्योकि नोटिस जारी करना एक प्रक्रिया है। यदि कोई पक्षकार नोटिस की तामील पर नहीं आता है तो उसकी एक पक्षीय कार्यवाही नियमानुसार की जाती है यदि तामील नहीं होती है तो निवास स्थान या सार्वजनिक स्थान या अन्य नियमानुसार तामील चस्पा की जाती है। पक्षकारों के दस्तावेजता एवं गवाहान के बयानात भी दर्ज नहीं किए गए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में तथ्यों को तोड मरोड कर तथा तथ्यों की पूर्णतया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

ईमानदारी से जॉच किए बिना ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया था। जिसकी पुष्टि मूल पत्रावली पर उपब्ध दस्तावेजातो से होती है। इश्तहार अखवार में सूचना साया कर उजदारी दी थी या नहीं उसके बारे में अपीलाण्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेण्ट को कोई जानकारी नहीं हुई क्योकि अपीलाण्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेण्ट में से कुछ केवल हस्ताक्षर करना जानते है कुछ अगूठा निशानी करते है। ये लोग अधिक पढे लिखे नहीं है। किसी प्रकार से ढोल नगाडो से मुनादी इत्यादि भी इस प्रकरण में नहीं करवाई गई थी। क्योकि यदि किसी प्रकार की मुनादी या उजदारी की सूचना करवाई होती तो उभय पक्षकारान के मकानात विल्कुल पास पास है। इसकी सूचना रहती । यदि अधीनस्थ न्यायालय की मनोस्थिति इस प्रकरण को ईमानदारी पूर्वक निस्तारण करने की रहती तो इस प्रकरण में सारी प्रकिया विधिवत पूरी की जाती। लेकिन वो प्रकिया ही पूरी नहीं की गई थी ।

यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाण्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेण्ट को सही प्रकार से विधि के नियमो एवं सिद्धान्तो की पूरी तरह से पालना करते हुए सुना जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाता तो उक्त प्रकरण की अपील संभागीय आयुक्त के यहाँ की जाती। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट गिर्राज प्रसाद को एवं तरतीवी पक्षकार सोहन सिंह पुत्र स्व. श्री डालचन्द, शिवशंकर पुत्र स्व. श्री डालचन्द, भगवानसहाय पुत्र दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, दिनेश पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, गोपी पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, छुटटन पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, रामप्यारी पुत्री स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर ही हीं दिया । इसलिए यह अपील श्रीमान के समक्ष विधिक सिद्धान्तो के अनुसार सुनवाई किए जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान522/2 रकबा 0.52, 523 रकबा 0.58 साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 04 बीधा 17 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० में स्थित है। जिस पर रेस्पोडेण्ट का कभी कब्जा रहा ही नहीं था। पटवारी की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी पर अपीलाण्ट गिर्राज एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट का ही कब्जा चला आ रहा था। जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी सम्बन्धित पटवारी ने गलत रिपोर्ट दी थी। एक रिपोर्ट में कब्जा करीब 20 साल पहले से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट का दिखाया था तथा दूसरी रिपोर्ट गोल मोल करके बनाकर दी थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तो का खुल्लम खुल्ला उल्लघंन तथा असल रेस्पोडेण्ट को फायदा पहुँचाने की बदनियति से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बिना सुने ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। इसलिए यह रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे के खारिज फरमाए जाने योग्य है। रेसपोडेण्ट ने अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पिताजी व पूर्वज दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ एवं इनके भाईयो मॉगेलाल एवं हीरालाल पुत्रान स्व. बिहारी लाल पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ तुत्तल जाति कोली निवासी मालाखेडा की मृत्यु दिनांक–16–12–2017 को हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान 522/2 रकबा 0.52, 523 रकबा 0.56 साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० मे गलत तरीके से अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों से साज बाज होकर अपना नामान्तरण चढवाने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया था। यदि वाकई में यह विवादित आराजी असल रेस्पोडेण्ट के बताए एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णित किए अनुसार असल रेस्पोडेण्ट के पूर्वज दयाकिशन पुत्र बिहारीलाल की होती तो अपने पूर्वज दयाकिशन पुत्र बिहारी लाल की मृत्यु दिनांक–01–01–1960 के बाद ही अपना नामान्तरण चढवाने की कार्यवाही अमल में लाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जाती । लेकिन असल रेस्पोडेण्ट ने वदनियति से अपीलाण्ट के पिताजी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारीलाल की मृत्यु हो जाने के वाद ही असल रेस्पोडेण्ट ने अपने नामान्तरण का दावा प्रस्तुत किया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तो का खुल्लम खुल्ला उल्लघंन तथा असल रेस्पोडेण्ट को फायदा पहुँचाने की वदनियति से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बिना सुने ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। इसलिए यह रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे के खारिज फरमाए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के द्वारा अपने पिताजी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारीलाल की मृत्यु के बाद नामान्तरण चढ़ाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में प्रार्थना–पत्र के साथ सोरू गंगाजी घाट पण्डाजी की पोथी की फोटो प्रति वारिसान असल रेस्पोडेण्ट, पूर्व का अलवर सब डिवीजनल अधिकारी के द्वारा राजस्व वाद में किया गया राजीनामा इत्यादि संलग्न करके प्रार्थना–पत्र पेश किया था। जिनका भीअधीनस्थ न्यायालय ने सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया ना ही उक्त प्रकरण की पत्रावली में शामिल दस्तावेजात किया। जबकि पण्डाजी की पोथी से यह स्पष्ट होता है कि अनुसार असल रेस्पोडेण्ट के बिहारीलाल नामक व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं था तथा सब डिवीजनल अधिकारी अलवर के यहा प्रस्तुत किए गए राजीनामे दिनांक–01–06–2002 की प्रति को भी प्रकरण की पत्रावली में शामिल नहीं किया था। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी पर मांगेलाल पुत्र बिहारीलाल कोली, निवासी मालाखेडा, जिला अलवर राज० तथा वादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारीलाल, जाति कोली निवासी मालाखेडा, जिला अलवर राज० के मध्य राजस्व वाद में पेश किया था। जिसको दिनांक–05–06–2002 को सम्वन्धित न्यायालय श्रीमान के द्वारा तस्दीक फरमाया गया था। जिसके अनुसार यह निर्णित हुआ था क आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 52 एयर, व 523 रकबा 56 एयर वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० जिसका साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा था में से 03 बीधा साढे चार बिस्वा जमीन सिरे पूर्व की ओर प्रतिवादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र स्व. बिहारीलाल, की खातेदारी की रहेगी, इस आराजी में से एक बीधा साढ़े बारह बिस्वा आराजी सिरे पश्चिम को वादी मांगेलाल पुत्र स्व. बिहारीलाल की खातेदारी की रहेगी। इस आराजी में स्व. हीरालाल के वारिसान जो की इस मुकदमे में तरतीबी प्रतिवादीगण बनाए गए है उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा इत्यादि । यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट गिर्राज एवं अन्य तरतीबी रेस्पोडेण्ट को भी नोटिस जारी किए बिना ही इन दस्तावेजातो का सही प्रकार से अवलोकन कर लिया जाता तो विवादित आराजी के बाबत सारे तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाते । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तो का खुल्लम खुल्ला उल्लघंन तथा असल रेस्पोडेण्ट को फायदा पहुँचाने की बदनियति से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बिना सुने ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। इसलिए यह रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे के खारिज फरमाए जाने योग्य है।जागा पोथी असल प्रस्तुत नहीं करवाई गई थी। ना ही उक्त जागा पोथी की पुष्टि या अनुवाद किसी अन्य जागा भाषा के विशेषज्ञ से करवाया था। सोरू घाट गंगाजी के पण्डाजी की पोथी को तो पत्रावली में शामिल ही नहीं किया था। अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में ये तथ्य था कि ये विवादित आराजी असल में दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारी लाल की ही असल रेस्पोडेण्ट के बिहारीलाल का कोई व्यक्ति या पूर्वज हुआ ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तो का खुल्लम खुल्ला उल्लघंन तथा असल रेस्पोडेण्ट को फायदा पहुँचाने की बदनियति से अपीलाण्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बिना सुने ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। इसलिए यह रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे के खारिज फरमाए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने केवल असल प्रतिवादी को सुना और असल रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने की बदनियति से अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए। अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेसपोडेण्ट को नोटिस जारी नहीं किए सही प्रकार से तामील नहीं करवाई, तामील की उचित प्रकिया नहीं अपनाई, ना ही विवादित आराजी के बाबत ढोल नगाडो से कोई मुनादी करवाई, इस प्रकरण में पूरी प्रक्रिया अपनाए बिना ही, गवाहान के कोई बयान लेखबद्ध नहीं करवाए गए थे। प्रार्थीया कौशल्या के अगूठा निशानियों में काफी अन्तर है जिससे एक अगूठा निशानी फर्जी तथा एक सही होना प्रतीत होती है। वकालतनामें एवं अन्य दस्तावेजातो के अगूठा निशानी में काफी अन्तर होना स्पष्ट दिखाई देता है के बावजूद भी इस तथ्य को भी न्यायालय ने अनदेखा कर दिया था । अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट के द्वारा पूर्व में अपने पिताजी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारी लाल के इस नामान्तरण को चढाने के प्रार्थना–पत्र के साथ जो पण्डा पोथी सोरू घाट गंगाजी के पण्डा की दी थी जिसमें असल रेस्पोडेण्ट के बिहारी लाल नामक पूर्वज नहीं होना स्पष्ट होता है, तथा सब डिवीजनल अधिकारी के राजीनामे के फैसले की प्रति जिससे विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट की होना साबित होता है को भी पत्रावली में शामिल नहीं किया। इस प्रकार विधिक सिद्धान्तो का खुल्लम खुल्ला उल्लघंन करते हुए तथा असल रेस्पोडेण्ट को फायदा पहुँचाने की बदनियति से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बिना सुने ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। इसलिए यह रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे के खारिज फरमाए जाने योग्य है।उक्त प्रार्थना–पत्र असल रेस्पोडेण्ट ने जरिए अधिवक्ता किस धारा में या किस नियम के अनुसार पेश किया है उसका कोई अंकन नहीं किया गया है। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने योग्य है।अन्य वाकेयात दौराने बहस जुबाने अर्ज किए जाएगे।श्रीमान उक्त अपीलाण्ट के जवाब प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाते हुए असल रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक–08–07–204 को मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाए जाने की कृपा करें ।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। क्षेत्राधिकार के प्रार्थनापत्र में निहित समस्त तथ्यों का मिलान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्डानुसार प्रकरण धारा 135(2) का था। धारा 135(2) के अन्तर्गत नामांतरण के विवादित मामलों में बहैसियत सहायक भू–अभिलेख अधिकारी तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित नामान्तरण के विरूद्ध प्रथत अपील का श्रवणाधिकार बहैसियत निदेशक, भू–अभिलेख सम्भागीय आयुक्त अथवा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है। अपील श्रवणाधिकार से बाहर होने से अपील निरस्त योग्य पाई जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 ~~मीना~~)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज0)...